संख्या-5/2015/593/58-1-2015-237/2014

प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2015**

विषय-- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में उद्यान शाखा के अधीन संचालित केन्द्रीय आयोजनागत योजना 'राज्य औद्यानिक मिशन' योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि के अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 367/बजट-आयोजनागत-2014-15 दिनांक 11.03.2015 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या 1448/58-2014-237/2014 दिनांक 07.07.2014 शासनादेश संख्या एन0बी0 574/58-2014-237/2014 दिनांक 19.09.2014 एवं शासनादेश संख्या-एन0बी0450/58-2014-237/2014 दिनांक 30.09.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में केन्द्र पोषित चालू योजना "राज्य औद्यानिक मिशन" योजनान्तर्गत "केन्द्रांश 85 प्रतिशत एवं राज्यांश 15 प्रतिशत" के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0-50,05,83 हजार के सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक 14.03.2014 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.07.2014 में निहित निर्देशों के अधीन रू0 22,80,51 हजार (रूपये बाईस करोड़ अस्सी लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि उक्त संदर्भित शासनादेशों द्वारा अवमुक्त की गयी है, जिसमें अनुपात के आधार पर केन्द्रांश रू0 17,63,32 हजार तथा राज्यांश रू0 3,11,17 हजार + रू0 2,06,02 हजार हैं। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त उक्त आनुपातिक आधार पर केन्द्रांश रू0 11,85,00 हजार + राज्यांश रू0 2,09,12 हजार अर्थात कुल धनराशि रू0 13,94,12 हजार (रूपये तेरह करोड़ चौरानबे लाख बारह हजार) मात्र और अवमुक्त करते हुए अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदान सं0-10 (धनराशि हजार रु0 में)

कोड सं0/मद का नाम	वर्ष 2014-15 का आय-व्ययक प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-राज्य औद्यानिक मिशन (के.85/रा.15-के.+रा.)			
08-कार्यालय व्यय	1700	1400	-
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3600	2500	-
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7500	2975	2000
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6000	4000	-
27-सब्सिडी	320783	180434	135872
42-अन्य व्यय	16000	14460	1540
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	130000	7282	-
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15000	15000	-
योग-	**500583**	**228051**	**139412**

(धनराशि रूपये तेरह करोड़ चौरानबे लाख बारह हजार मात्र)

(1) केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश के 85:15 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में धनराशि का प्रविधान किया गया है। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन के अनुरूप केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करने की कार्यवाही की जाय।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ही किया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य औद्यानिक मिशन/जिला औद्यानिक मिशन नियमावली में निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक 14.03.2014 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.07.2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(8) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(9) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) लाभार्थी चयन में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(11) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(12) यदि भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, मिशन/उद्यान तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, उद्यान तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उद्यान विभाग उत्तरदायी होंगे।

(13) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित दिनांक 31 मार्च, 2015 तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.07.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5/2015/593(1)/58-1-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
(7) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in